निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 चैत्र 1938 (श0)

(सं0 पटना 283)   पटना, बुधवार, 6 अप्रील 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 अप्रील 2016

सं० एल0जी0-01-07/2016/64-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 अप्रील 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 6, 2016]

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016

प्रस्तावना :- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ग के गृह (आरक्षी) विभाग एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिए शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।**- (1) यह अधिनियम **बिहार पुलिस** अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगा, जिस तिथि को राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में नियत करें ।

2. **परिभाषाएँ ।**-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो -

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है **बिहार पुलिस** अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 ;

(ii) ''आयोग'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित **बिहार पुलिस अवर सेवा चयन** आयोग;

(iii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ;

(iv) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ।

अध्याय-II

3. **आयोग का गठन** ।- **बिहार पुलिस अवर सेवा** आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा ।-

(i) **अध्यक्ष**-राज्य सरकार के गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवा-निवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित किया जायेगा ।

(ii) **सदस्य**- (क) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के गृह (आरक्षी) विभाग के सेवानिवृत या सेवारत दो अधिकारियों को सदस्य के रूप में नियुक्त/नामित करेगा ।

(ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा **''सदस्य-सचिव''** के रूप में नामित किया जायेगा ।

(ग) राज्य सरकार का गृह (आरक्षी) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग, एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2 (दो) सदस्य नामित करेगा ।

उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के होगें ।

4. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।**-आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा उनके अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा :

परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य- संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा ।

5. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा** ।- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति के समय अधिकतम आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी ।

6. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग ।- आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं गृह (आरक्षी) विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा ।

7. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।- आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जायेगा एवं उनकी सेवा-शर्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी ।

अध्याय-III

8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा ।-

(1) आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, अधिकतम रू0 4200/- (चार हजार दो सौ) ग्रेड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा ।

(2) यदि आवश्यक हो, अधिनियम की अनुसूची को, समय-समय पर, गृह (आरक्षी) विभाग के द्वारा अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया जा सकेगा ।

9. चयन की प्रक्रिया ।- (1) आयोग, संलग्न अनुसूची के संवर्गीय पदों हेतु संबंधित पदों/विभागों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा :

परन्तु किसी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन आयोग कर सकेगा ।

(2) आयोग सदृश अर्हता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा ।

10. समूह 'ग' के संवर्गीय पदों से संबंधित लंबित चयन प्रक्रिया का अंतरण ।- इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग** द्वारा पूर्ण की जायेगी :

परन्तु, इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित वैसे सभी संवर्गीय पदों पर, जिनके संबंध में अन्य किसी आयोग अथवा पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत संबंधित आयोग अथवा पर्षद् द्वारा ही पूर्ण की जायेगी ।

अध्याय- IV

11. वित्तीय प्रावधान ।- (1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(2) आयोग विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा फीस प्राप्त कर सकेगा, जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा ।

12. लेखा एवं लेखा परीक्षण ।- (1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की इकतीस मार्च को समाप्त होगा ।

(2) आयोग द्वारा अपने प्राप्ति-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक् संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सदस्य-सचिव का होगा ।

अध्याय-V

13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन ।-** (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष की शक्ति होगी ।

(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्त्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगें ।

14. **नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ** ।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु, यदि आवश्यक हो, राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति होगी ।

(2) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, कार्य-प्रक्रिया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, शारीरिक क्षमता जाँच परीक्षाफलों के प्रकाशन, एवं अन्य चयन प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु विनियमावली बना सकेगा ।

15. **नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना** ।- राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी तथा यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाय या दोनों सदन सहमत हो जाय कि ऐसा नियम नहीं बनना चाहिए, तब वह नियम केवल उक्त संशोधन तक ही प्रभावी होगा या यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे संशोधन या निष्प्रभावी होने से उक्त अधिनियम के अधीन किया गया किसी कार्य की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. **कठिनाईयों का निराकरण एवं निरसन** ।- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो ।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी ।

(3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिन्दी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा ।

17. **अवशिष्ट मामले** ।- इस अधिनियम से संबंधित सभी अथवा कोई भी अवशिष्ट मामला राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा ।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।- (1) इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए संवर्गीय पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग/पर्षद् के नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, संबंधित विभागों के नियुक्ति संबंधी आयोग/पर्षद् के पूर्व नियमों एवं नियमावली के संगत प्रावधान के द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो ।

अनुसूची

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की सूची :-

क्र0	पद का नाम	विभाग	ग्रेड-पे
1	**2**	**3**	**4**
1	पुलिस अवर निरीक्षक	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
2	प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
3	कम्पनी कमांडर (गृहरक्षा वाहिनी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
4	फायर स्टेशन ऑफिसर (अग्निशाम पदाधिकारी)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
5	आशु अवर निरीक्षक	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
6	आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800
7	टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीधी भर्ती)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800
8	आशु सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800
9	टंकक सहायक अवर निरीक्षक (सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2800

क्र0	पद का नाम	विभाग	ग्रेड-पे
1	2	3	4
10	अ०नि० (एम०कैडर)	विशेष शाखा (गृह विभाग)	₹ 4200
11	स०अ०नि० (एम०कैडर)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 2400
12.	लिपिक (पुलिस विभाग के क्षेत्रीय स्थापनों के)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 1900
13.	अ.नि.(बेतार)	वितंतु, गृह विभाग	₹ 4200
14.	अ.नि. (तकनीकी)	वितंतु, गृह विभाग	₹ 4200
15.	सहायक अधीक्षक (गृह कारा)	गृह (आरक्षी) विभाग	₹ 4200
16.	पुलिस अवर निरीक्षक	निगरानी विभाग	₹ 4200
17.	अवर निरीक्षक (उत्पाद एवं मद्य निषेध)	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	₹ 4200
18.	वनपाल	वन एवं पर्यावरण विभाग	₹ 4200
19.	प्रवर्तन अवर निरीक्षक	परिवहन विभाग	₹ 4200

नोट :- राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में नये पद को सम्मिलित अथवा किसी पद को अनुसूची से विलोपित किया जा सकेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

---

6 अप्रील 2016

सं0 एल0जी0-01-07/2016/65-लेज––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा 5 अप्रील 2016 को अनुमत **बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 6, 2016]
Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016
AN
ACT

Preamble. - to constitute the "Bihar Police Sub-ordinate Services Commission" for selection of the candidates to the post of Group 'C' of the Home (Police) Department and posts of other departments under the State Government of Bihar for which physical measurement/test or ability test is mandatory and for selection of the candidate for such other posts.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER-I

1. *Short title, Extent and Commencement*.— (1) This Act may be called 'The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016'.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may publish the same, by notification, in the official Gazette.

2. Definitions.- *In this Act, unless any thing is repugnant to the subject or context. -*

(i) "Act" means 'The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016;

(ii) "Commission" means, Bihar Police Sub-ordinate Services Commission constituted under this Act;

(iii) "State Government" means 'The State Government of Bihar;

(iv) "Schedule" means schedule appended to this Act.

CHAPTER-II

3. *Constitution of Commission.*— The Bihar Police Sub-ordinate Services commission shall be constituted consisting of the following:-

***(i) Chairman.*—** Home (Police) Department, Government of Bihar shall appoint or nominate a retired or serving officer of the rank of Director General of Police or Additional Director General of Police as Chairman.

***(ii) Members.*—**

(a) Home (Police) Department, Government of Bihar shall appoint or nominate two retired or serving officers of Home(Police) Department of the rank of Inspector General of Police or Deputy Inspector General of Police or Superintendent of Police as members.

(b) One of the two members will be nominated as "Member-Secretary" by the Chairman.

(c) Home (Police) Department of the State Government shall nominate a maximum of 2 (two) members from other department such as, Home Department, Environment and Forest Department, Registration Excise & Prohibition Department, Transport Department and Disaster Management Department.

Among these members, at least one member shall be from minority community and one member shall be from Scheduled Caste /Scheduled Tribe.

***4. Tenure of chairman and Members of the Commission.*—** The tenure of the Chairman and Members of the Commission shall be three years or till attainment of their age as sixty eight years, whichever is earlier;

Provided that, in special circumstances, the tenure of the chairman or the member may be further extended for such period as may be determined by the State Government;

Provided further that if the State Government is reasonably satisfied that continuance of Chairman or any Member or all Members in the Commission is against the public interest or causing inconvenience in functioning of the Commission, the chairman or and such any other member or all members may be discharged from their posts by the State Government before the completion of the determined tenure.

***5. Age limit of Chairman and Members of the Commission.*—** The maximum age-limit of the Chairman or Members of the Commission at the time of appointment shall be 65 (Sixty five) years.

***6. Headquarter and Administrative Department of the Commission.*—** The Headquarter of the Commission shall be situated in Patna and Home(Police) department shall be the Administrative department of the commission.

7. Sub-ordinate officers and Employees.— For conduct of business of the Commission, posts of Sub-ordinate officers and employees will be created and terms and conditions of their service will be in conformity with the rules made by The State Government under this Act.

CHAPTER-III

8. ***Services Cadres and Posts for which the Commission may recommend for Appointment.—*** (1) The Commission may select and recommend for appointment to all cadres and posts of Group C having designated 'uniform' and prescribed physical ability and efficiency tests as well as such other posts having maximum Grade Pay upto rupees 4200/- in the different departments under the State Government as mentioned in the appended schedule.

(2) The Schedule of the Act may be amended time to time by the Home(Police) department by notification, if required.

9. ***Selection Procedure.*****—(1)** The Commission shall select the candidates for appointment to cadre posts, enumerated in the appended schedule according to the prescribed procedure under the service cadre rules of respective posts/departments;

Provided that in absence of service cadre rules for any post, the Commission shall select the candidates for such post according to the prescribed procedure adhered in the examination rules for selection by the commission with prior approval of the State Government.

(2) The Commission may hold a Combined Competitive Examination for posts with similar eligibility criterion.

10. ***Transfer of Pending Selection Process Related to Cadre Posts of Group C.—*** Selection process shall be completed by the "Bihar Police Sub-ordinate Services Commission" for the appointment to all such cadre posts as mentioned in the appended schedule of this Act, in respect of which the advertisement has not been issued or published by the Bihar Staff Selection Commission or Bihar Technical Staff Selection commission or any other Commission or Board;

Provided that the selection process shall be completed by such other respective Commission or Board for appointment to all such cadre posts as mentioned in the appended schedule of this Act, in respect of which the advertisement has been issued or published by any other Commission or Board till the date of commencement of this Act.

CHAPTER-IV

11.***Financial Provisions.—*** (1) All expenditures incurred for functioning of the Commission shall be borne by the State Government.

(2) The Commission shall charge examination fee from the candidates as determined by the State Government, from time to time for conduct of competitive examinations which shall be deposited in the appropriate Receipt- Head in the State Treasury by the Commission.

12. ***Accounts and Audit.—*** (i) Financial year of the Commission shall begin from 1^{st} April of a calendar year and shall end on 31^{st} March of the next calendar year.

(ii) All documents related to receipts and expenditures shall be maintained properly by the Commission and the Member Secretary of the Commission shall be solely responsible for the same.

CHAPTER-V

13.***Delegation of Powers.*** — (1) The Chairman of the Commission shall have the powers of Head of Department of State Government in administrative and financial matters.

(2) Chairman of the Commission may entrust the duties and responsibilities of Examination controller to one of the member and the duties and responsibilities of Administrative Branch of the Commission to another member.

14. ***Powers to make rules/regulations.*** — (1) The State Government shall have power to make rules to carry out the provisions of this Act, if required.

(2) The commission may frame regulations for publication of advertisement, conduction of written examinations, personality test/viva-voce test, publication of result and other selection procedures, if any, with prior approval of State Government .

15. ***To Lay the Rules on the floor of Legislature.—*** Every rule made by the State Government shall be laid before each house of the State Legislature immediately in the session, called for minimum fourteen days or which may comprise one session or two or more successive sessions or the successive session and if before the adjournment of the earlier session, immediately following the session or the successive session aforesaid if both houses agree in making any modification in the rule or disagree the rule thereafter will have effect only in such modified form or

be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the legal validity of anything done previously under that rule.

16. ***Removal of Difficulties and Interpretation.—*** (1) If any difficulty arises in carrying out the provisions of this Act, the State Government within one year after the commencement of this Act, may, by notification , make such provisions, not in consistent with the provisions of this Act for removing such difficulties.

(2) if any doubt arises in respect of interpretation of any provisions of the Act within one year after the commencement of this Act, the State Government may remove the same by notification in consultation with the law department.

(3) if any differences appears in Hindi version and English version of this Act, the Hindi version shall have overriding effect.

17. ***Residual Matters.***— All or any residual matters related to this Act shall be disposed off by the State Government according to the provisions of this Act.

18. ***Repeal and savings.***— (1) Subject to the limit of the matter transferred under section 10 of this Act and the matter assigned to the Commission for selection to cadre posts by this Act, the relevant provisions of the rules/regulations of the concerned Commission /Board related with the appointment in the concerned department shall stand repealed from the date of commencement of this Act.

(2) Notwithstanding this repeal any action of selection taken by the Commission /Board under the relevant provisions of the rule/regulation of the concerned Commission/Board shall be deemed to be legal, as if, the said actions was taken under this Act.

SCHEDULE

List of posts for which Examination is to be conducted by Bihar Police Sub-ordinate Services Commission

Sl. No.	Name of post	Controlling Department	Grade Pay
1	2	3	4
1	Sub Inspector of Police	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/-
2	Reserve Sub Inspector (Seargent)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
3	Company Commander (Home Guard)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
4	Fire Station officer(Fire extinguisher officer)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
5	Steno Sub-Inspector	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/
6	Steno Asstt. Sub-Inspector (Direct Recruitment)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/-
7	Typist Asstt. Sub-Inspector (Direct Recruitment)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
8	Steno Asstt. Sub-Inspector (Limited Competitive Examination)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
9	Typist Asstt. Sub-Inspector (Limited Competitive Examination)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2800/
10	Sub-Inspector (M- Cadre)	Special Branch (Home Deptt.)	Rs. 4200/-
11	Asstt. Sub-Inspector (M-Cadre)	Home (Police) Deptt.	Rs. 2400/-
12	Clerk (Field formations.)	Home (Police) Deptt.	Rs. 1900/-
13	Sub-Inspector (Wireless)	Wireless (Home Deptt.)	Rs. 4200/-
14	Sub-Inspector (Technical)	Wireless (Home Deptt.)	Rs. 4200/-

Sl. No.	Name of post	Controlling Department	Grade Pay
1	**2**	**3**	**4**
15	Asst. Superintendent (Home Prison)	Home (Police) Deptt.	Rs. 4200/-
16	Sub-Inspector of Police	Vigilance Deptt.	Rs. 4200/-
17	Sub-Inspector	Registration, Excise and Prohibition Deptt.	Rs. 4200/-
18	Forester	Forest and Environment Deptt.	Rs. 4200/-
19	Enforcement Sub-Inspector	Transport Deptt.	Rs. 4200/-

Note:- New posts may be included in and any post deleted from the appended Schedule by the State Government by notification.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 283-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 747) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अगस्त 2017

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
23 अगस्त 2017

सं० 4/वि1–10–37/2016–6836/गृ0आ0—बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम 2016 की धारा–14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस एवं अन्य विभागों के विशिष्ट वर्दीधारी समूह–'ग' के विभिन्न पदों पर भर्ती की अनुशंसा के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–(1) यह नियमावली 'बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली, 2017' कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएं।– इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–**
   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना;
   (iii) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 2016 (बिहार अधिनियम सं0 16);
   (iv) 'आयोग' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और इसमें इसके अध्यक्ष एवं सभी अन्य सदस्य शामिल हैंः
   परंतु किसी सदस्य की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में अध्यक्ष एवं शेष सदस्यों को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा;
   (v) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का अध्यक्ष;
   (vi) 'सदस्य' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के सदस्य ;

(vii) 'सेवा एवं संवर्ग' से अभिप्रेत है कोई सेवा या संवर्ग जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;

(viii) 'पद' से अभिप्रेत है कोई पद जिसमें नियुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–8 के अधीन आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा हो;

(ix) 'सचिव' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव और इसमें वह पदाधिकारी भी शामिल है जो सचिव की अनुपस्थिति में सचिव का कार्य निष्पादित करने हेतु अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

3. **आयोग के अध्यक्ष की प्रास्थिति, वेतन एवं सुविधाएँ।**–

(1) सरकार पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के सेवानिवृत्त अथवा सेवारत पदाधिकारी को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित कर सकेगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

(3) आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवा निवृत्त पदाधिकारी को अपने सेवा काल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।

फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से, सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्प्युटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के वाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।

4. **आयोग के सदस्य का स्तर, वेतन एवं सुविधाएँ।**–

(1) (क) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक स्तर के सेवानिवृत्त या सेवारत दो अधिकारियों को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(ख) उक्त दो सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा ''सदस्य–सचिव'' के रूप में नामित किया जायेगा।

(ग) विभाग अन्य विभागों, यथा गृह विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, परिवहन विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अधिकतम 2(दो) सदस्य नामित करेगा।

उक्त सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अल्पसंख्यक एवं एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के होंगे।

(2) आयोग के सदस्य राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों को अनुमान्य वेतन एव अन्य सभी सुविधाओं के पात्र होंगे।

(3) आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को अपनी सेवा काल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं विभागीय सचिव को अनुमान्य सभी सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवा निवृत्ति के बाद आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृत्ति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्प्युटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।

(4) अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्ति के बाद वेतन पुनरीक्षण होने की स्थिति में जिस Matrix के अनुसार सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण होगा, उसी Matrix में इनका वेतन भी पुनरीक्षित हो जायेगा।

5. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी।**– अध्यक्ष एवं सदस्यों की छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया वही होगी जो समकक्ष पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू हो। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार धारण करेगा।

6. **आयोग के कार्य एवं अधिकार ।**–

(i) अधिनियम की धारा–8 के अनुसार आयोग इस अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित रू0 4200/– (चार हजार दो सौ) ग्रेड–पे अथवा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित समरूप ग्रेड–पे/वेतनमान से कम ग्रेड–पे/वेतनमान वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों, जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों, एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।

(v) आयोग की अनुशंसा विभाग में उसकी प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी :

परंतु, आयोग को अपनी अनुशंसा अगले एक वर्ष के लिए पुनः विधिमान्य करने की शक्ति होगी।

7. **आयोग के कार्यो का संव्यवहार।**– इस नियमावली की अनुसूची–1 एवं 2 में यथा निर्दिष्ट कार्यो का संव्यवहार क्रमशः आयोग एवं आयोग के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

8. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्य एवं उत्तरदायित्व।**–

(1) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा नियमावली की अनुसूची–1 में उल्लिखित कार्यो का निष्पादन किया जायेगा। इसी प्रकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा अनुसूची–2 में अंकित कार्यो का निष्पादन किया जायेगा।

(2) आयोग का अध्यक्ष आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का उत्तरदायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रशासनिक शाखा का उत्तरदायित्व सौंप सकेगा। आयोग के अन्य सदस्य अध्यक्ष के परामर्श से अन्य उत्तरदायित्वों का पालन करेंगे।

9. **आयोग की बैठकों की कार्यवाहियाँ।**–

(1) आयोग के सभी निर्णयों का अभिलेखन बैठक में ही सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि कोई सदस्य किसी निर्णय का विरोध प्रकट करे तो उसे कार्यवाही में अभिलिखित किया जायेगा। मत–भिन्नता की दशा में बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(2) बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि आयोग की अगली बैठक में की जायेगी।

(3) आयोग के निर्णयों का संसूचन सचिव/अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र से किया जायेगा।

(4) आयोग की कार्यवाहियाँ गोपनीय होगी और उन्हें आयोग की अनुमति के बिना संसूचित नहीं किया जायेगा।

10. **वित्तीय शक्तियाँ।**–

(1) बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी क्रय को छोड़कर कार्यालय–प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी :

परंतु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एव अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम–110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।

(2) बिहार कोषागार संहिता के नियम–177 में अभिकथित निबंधनों एवं शर्त्तों के अनुसार, परीक्षा संचालन के लिए कोषागार से रू0 100000.00 (एक लाख रू0) से अधिक धन की अग्रिम तथा निकासी को मंजूरी देने की शक्ति आयोग को होगी। एक लाख रूपये तक यह शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी। क्रय से संबंधित मामलों में, अग्रिम धन की निकासी तभी की जायेगी जब अनुमोदित निविदा में ऐसी शर्त्त हो।

(3) प्रश्न पत्रों की छपाई एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन पर होने वाले/हुए व्यय के संबंध में बिहार वित्त नियमावली भाग–2 परिशिष्ट–5 की मद सं0– 39 में अभिकथित प्रक्रिया लागू होगी।

(4) आयोग द्वारा किया जाने वाला व्यय मुख्य मुख्य शीर्ष,–2051–लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष–00–, लघु शीर्ष–103–कर्मचारी चयन आयोग, उप शीर्ष–0003–बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, विपत्र कोड–N2051001030003 के अधीन, विकलनीय होगा।

(5) आयोग राज्य सरकार से प्राप्त राशि और विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को बैंक खाता खोलकर रखेगा। अभ्यर्थियों से प्राप्त फीस के लिए एक पृथक बैंक खाता होगा और यह राशि तुरंत और माह के अंत तक राजकोष में प्राप्ति–मुख्य 'मुख्य शीर्ष,–0051–लोक सेवा आयोग, उप मुख्य शीर्ष–00–, लघु शीर्ष–105–राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क, उप शीर्ष–0004–बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग परीक्षा शुल्क', विपत्र कोड–R0051001050004 के अधीन जमा की जायेगी। प्रत्येक वर्ष ऐसी फीस के रूप में प्राप्त राजस्व का ब्योरा विभाग को भेजा जायेगा।

11. **आयोग के पदाधिकारी/कर्मचारी।**–

(1) आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर किया जाय। मंजूर किये गये पद बल के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पदाधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध कराये जायेंगे। कतिपय पदों, यथा–आदेशपाल, चालक, सहायक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कम्प्यूटर ऑपरेटर पर नियमित नियुक्ति होने तक आयोग द्वारा किसी संस्था के माध्यम से सरकार/बेल्ट्रॉन द्वारा नियत वेतन पर संविदा के आधार पर सेवा ली जा सकेगी।

(2) नियमित रूप से नियुक्ति/पदस्थापित आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें वही होंगी जो समकक्ष स्तर के सरकारी सेवकों पर लागू हों। आयोग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी वे ही नियम/संकल्प/परिपत्र लागू होंगे जो सरकार के उनके स्तर/सेवा के पदाधिकारियेां/कर्मचारियों पर लागू हैं।

(3) सरकार द्वारा, समय–समय पर, स्वीकृत पद बल के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परीक्षा–प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन के लिए आयोग विज्ञापन के आधार पर बाह्य व्यक्तियों की सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, संविदा पर ले सकेगा और परीक्षा–प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर देगा। ऐसे रखे गये व्यक्तियों की संख्या एवं उन्हें भुगतेय राशि की दर पर आयोग सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

12. वित्तीय प्रावधान।–

(1) आयोग की स्थापना पर होने वाले वार्षिक व्यय का वहन विभाग द्वारा अपने बजट शीर्ष के अधीन आवश्यक निधि उपबंध कर किया जायेगा।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष का बजट प्राक्कलन तैयार करेगा और विभाग को भेजेगा ताकि विभाग के बजट के अधीन उसको सम्मिलित किया जा सके।

13. व्यय पर नियंत्रण।– आयोग के नियंत्री पदाधिकारी व्यय पर नियंत्रण करेंगे तथा बिहार वित्त नियमावली के नियम 471 से 479 के अधीन प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निष्पादन करेंगे। लेखा का संधारण एवं उनका अंकेक्षण सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जायेगा। इससे संबद्ध सुसंगत जानकारी तथा प्रतिवेदन आयेाग के द्वारा विभाग (आरक्षी को समय–समय पर उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुसूची–1
आयोग द्वारा सम्व्यवहार किये जाने वाले कार्य

(i) आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ii) अधिनियम की धारा 14(2) के अधीन निर्मित नियमावली के तहत परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम।

(iii) सभी मामले जिनमें नयी नीति हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।

(iv) कोई मामला जिसमें वर्त्तमान नीति को संशोधित/पुनरीक्षित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना हो।

(v) वे मामले जिनमें पद एवं सेवाओं में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा संचालित करने हेतु विनियमावली बनाने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता हो;

(vi) कोई मामले जिसमें भर्ती नियमावली नहीं बनी है और उनमें आयोग को चयन की प्रक्रिया का निर्धारण करना हो;

(vii) आयोग के कार्यो के निष्पादन हेतु कार्य संचालन विनियमावली का प्रारूप, सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना;

(viii) आयोग की अधिकारिता से हटाने एवं आयोग के कार्यो के विस्तार का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना;

(ix) परीक्षा पद्धति के अनुसंधान से संबंधित विषय;

(x) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा पर्षद के गठन हेतु पैनल का निर्माण ;

(xi) परामर्शियों/विषेषज्ञों के चयन हेतु पैनल का गठन एवं बोर्ड की संरचना;

(xii) अन्तर्वीक्षा की तिथियों को नियत करना;

(xiii) परीक्षा की तिथियों, परीक्षाओं एवं मूल्यांकन स्थानों का नियत करना;

(xiv) अधिवक्ताओं के पैनल का गठन;

(xv) भर्ती के लिए अधिसूचना/विज्ञापन और समाचार पत्रों का चयन करना जिसमें विज्ञापन प्रकाशित किये जाने वाले हों;

(xvi) परीक्षा तथा अन्तर्वीक्षा के परिणामों (परीक्षाफलों) का अनुमोदन;

(xvii) पद्धति विकास और डाटा प्रासेसिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग शाखा संबंधी तकनीकी पहलु वाले अन्य कार्य;

(xviii) उम्मीदवारों के आवेदन पर उत्तर पुस्तिकाओं की पुनःसमीक्षा का निर्णय;

(xix) कोई अन्य मामला जिसे विचार एवं निर्णय हेतु अध्यक्ष आयोग के समक्ष रखना चाहें;

(xx) कोई अन्य मामला जो इस नियमावली में आच्छादित न हो उस पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार के अनुमोदन हेतु भेजना हो।

अनुसूची–2
अध्यक्ष द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य :–

(i) आयोग का सामान्य प्रशासन;
(ii) आयोग की बैठक आहूत करने सहित आयोग के कार्य का समन्वय;
(iii) आयोग के सदस्यों को आयोग के कार्यो का आवंटन ;
(iv) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को कोई संचिका परीक्षण के लिए पृष्ठांकित करना;
(v) प्राश्निकों (प्रश्न चयनक), मर्यादकों (मोडरेटर्स/परीक्षकों) की नियुक्ति;
(vi) प्रश्न पत्रों के मुद्रण का अनुमोदन;
(vii) आवश्यकतानुसार या जनहित में यदि अध्यक्ष उचित समझे तो किसी खास मामले या कार्य को निष्पादनार्थ आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा;
(viii) न्यायिक मामलों के लिए तथ्य विवरणी की जॉच/शपथ–पत्र दाखिल करना;
(ix) आयोग द्वारा तैयार पैनल से बोर्ड का गठन एवं साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा तिथियों का अवधारण।
(x) आयोग द्वारा स्वीकृत पैनल से वकीलों को कार्य पर रखना।
(xi) आयोग द्वारा समय–समय पर कार्यहित में सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

---

23 अगस्त 2017

सं० 4/वि01–10–37/2016–6836, दिनांक 23 अगस्त 2017 द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग नियमावली, 2017 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–(3) के अंतर्गत अंगरेजी भाषा में उक्त नियमावली का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के अपर सचिव।

The 23rd August 2017

No-4/B1-10-37/2016-6836/H.P—In exercise of the powers conferred under section-14 of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016 the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for the constitution of The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission for recommendation of appointment to the various posts of Group-C having designated uniform of the Bihar Police and other Departments:-

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) These rules may be called "The Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Rules, 2017."

(2)It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3)It shall come into force at once.

2. ***Definition.- In these Rules, unless otherwise requires in the context -***

(i) "State Government" means the State Government of Bihar;
(ii) "Department" means the Home Department (Police Branch);
(iii) "Act" means the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Act, 2016 (Bihar Act No- 16);
(iv) "Commission" means the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission and it includes its Chairman and all the other Members:

Provided that in case of absence of any Member on leave or otherwise, the Commission shall be deemed to be constituted comprising of the Chairman and rest members;

(v) "Chairman" means the Chairman of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission appointed by the State Government under section-3 of the Act;

(vi) "Member" means a Member of the Bihar Police Sub-ordinate Services Commission appointed by the State Government, under section-3 of the Act;

(vii) "Service and Cadre" means a service or a cadre in which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section-8 of the Act;

(viii) "Post" means any post to which for appointment, the recommendation of the Commission is required under section-8 of the Act;

(ix) "Secretary" means the Secretary of the Commission appointed by the State Government and it includes the officer authorized by the Chairman to perform the function of the Secretary, in the absence of the Secretary.

3. ***Status, Pay and facilities of the Chairman of the Commission:-***

(1) Government may appoint/ nominate serving or retired officer of the rank of Director General of Police/ Additional Director General of Police to the post of the Chairman of the Commission.

(2) Serving officer, appointed/nominated as the Chairman of the Commission, shall be provided the pay of his post and all facilities admissible to a Departmental Secretary.

(3) Pay equivalent to last pay of his service period and all facilities admissible to a Departmental Secretary shall be provided to retired officer appointed as the Chairman of the Commission.

However, if an officer after his retirement is appointed as the Chairman of the Commission, he will be paid as salary from the date of his appointment, after deducting the amount of pension, which he is to get after retirement from the date of retirement (including that part of the pension which has been commuted) and the amount equivalent to other retrial benefit from his earlier service.

4. ***Status, Pay and facilities of the Member of the Commission.—***

(1) (a) The State Government may appoint/ nominate two serving or retired officer of the rank of Inspector General of Police/ Deputy Inspector General of Police/ Superintendent of Police to the posts of the Members of the Commission.

(b) One of the two Members will be nominated as the 'Member-Secretary' by the Chairman.

(c) Department shall nominate maximum 2 (Two) Members, not below the rank of Joint Secretary, from other departments such as, Home Department, Environment and Forest Department, Registration, Excise & Prohibition Department, Transport Department and Disaster Management Department.

At least one member shall be from Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the said Members.

(2) Members of the Commission, shall be eligible for the pay and all the facilities admissible to the officers of equivalent rank working in the state government.

(3) Pay equivalent to last pay of his service period and all facilities admissible to a departmental secretary shall be provided to a retired officer appointed as member of the Commission.

However, if an officer after his retirement is appointed as the Member of the Commission, he will be paid as salary from the date of his appointment, after deducting the amount of pension, which he is to get after retirement from the date of retirement (including that part of the pension which has been commuted) and the amount equivalent to other retrial benefit from his earlier service.

(4) In case of pay revision after the appointment of Chairman/ Members, the pay of Chairman/ Members shall be revised in the same Matrix in which pay of working/ retired employees is revised.

5. ***Leave to the Chairman and the Members of the Commission.***—The procedure for sanction of leave to the Chairman and the Members of the Commission shall be the same as applicable to the officers of the equivalent rank. In the absence of the Chairman on leave or otherwise, the senior most Member shall hold the charge of the administrative work of the Chairman.

6. ***Power and functions of the commission.***—

(1) As per Section-8 of the Act, the Commission may select and recommend for appointment to all cadres and posts of Group-C having designated 'Uniform' and prescribed physical ability and efficiency tests as well as such other posts having maximum Grade Pay upto Rs. 4200/- in the different departments under the State Government as mention in the appended Schedule of the Act.

(2) The recommendations of the Commission will be valid for one year with effect from the date of its receipt in the Department.

Provided the Commission shall have power to revalidate its recommendation for further one year.

7. ***Transaction of Business of the Members of the Commission.***—The transaction of business as specified in Schedule-1 and 2 of these Rules shall be made by the Commission and the Chairman of the Commission respectively.

8. ***Functions and Responsibility of the Members of the Commission***:—

(1) The Business mentioned in Schedule-1 of these Rules shall be executed by the Chairman and the Members of the Commission. Likewise, the business mentioned in Schedule-2 shall be executed by the Chairman of the Commission.

(2) The Chairman of the Commission may entrust the responsibilities of the Examination Controller to any one of the Members and the responsibilities of the Administrative Section to any one of the other Members. Other Members of the Commission shall perform the other responsibilities, in consultation with the Chairman.

9. ***Proceeding of the Meetings of the Commission.***—

(1) All decisions of the Commission shall be recorded in the meeting by the Secretary or any other officer authorised by the Chairman. If any Member dissents any decision, it shall be recorded in the proceeding. In case of difference of opinion the decision shall be taken by majority.

(2) The proceeding of the meeting shall be confirmed in the next meeting of the Commission.

(3) The decisions of the Commission shall be communicated by a letter signed by the Secretary or by an officer authorised by the Chairman.

(4) The proceedings of the Commission will be confidential and will not be communicated without the permission of the Commission.

10. ***Financial Powers.***—

(1) Within the budget allocation, the Commission shall have the power to sanction expenditure for office administration except purchase of a motor vehicle.

Provided that the Commission shall have full power to purchase for conducting the examinations and other departmental purchase to execute the contract and to sanction any other expenditure for office administration. For the contingent expenses, the Chairman shall have powers under rule 110(2) of the Bihar Financial Rules.

(2) The Commission shall have power to sanction the advances and withdrawals of money more than Rs. (1,00,000/-) One Lakh from treasury for conducting of examination as per the terms and conditions laid down in Rule-177 of Bihar Treasury Code. The Chairman of the Commission shall have this power up to Rs. One Lakh. In cases related to purchase, advance money shall be drawn from treasury only when there is such condition in the approved tender.

(3) Procedure laid down in item 39 of appendix 5 of the Bihar Financial Rules Part-II shall be applicable in the matters related to expenditure to be incurred on printing of question papers and evaluation of answer sheets.

(4) Expenditure by the Commission shall be deductable under Major Head-2051-Public Service Commission, Sub Major Head -00- Minor Head- 103- Staff Selection Commission, Sub Head-0003- Bihar Police Sub-ordinate Services Commission, Bill Code-N2051001030003.

(5) The Commission shall keep the amount received from Government and the amount received by miscellaneous receipts in a bank by opening an account. There shall be separate bank account for the fees received from the candidates and this amount shall be deposited in the treasury under Major Head-0051-Public Service Commission, Sub Major Head -00- Minor Head- 105- State Public Service Commission Examination Fee, Sub Head-0004- Bihar Police Sub-ordinate Services Commission Examination Fee, Bill Code- R0051001050004 immediately by the end of the month. The detail of the revenue received as fee shall be sent to the Department every year.

11. ***Officers and Staff of the Commission.—***

(1) Strength of posts of the subordinate officers and staff for conducting work of the Commission shall be the same as may be sanctioned by the Government, from time to time. Officers and staff shall be made available by the General Administration Department against approved sanctioned strength of the posts. The Service of certain posts, like- peon, driver, computer programmer, computer operator shall be taken by the Commission on the basis of contract from any institution at fixed pay, fixed by the Government/Beltron till the regular appointment.

(2) The Conditions of service of the Officers and Staff of the Commission shall be the same which are applicable to the Government servants. The rules, resolutions, orders regarding disciplinary action as applicable to the Government servants of equivalent rank shall be applicable to the Officers and Staff of the Commission.

(3) The Commission may engage on contract the services of persons for specified period for smooth conduct of examinations in addition to the post sanctioned by the Government on the basis of advertisement and the Commission shall terminate their services as soon the examination procedure is over. The Commission shall obtain the prior approval of the State Government on the number of such persons to be engaged and on the rate of the amount payable to them.

12. ***Financial provisions.—***

(1) Annual expenditure to be incurred on establishment of the Commission shall be borne by the Home Department (Police Branch) by providing the required fund under its budget head.

(2) The Commission shall prepare the budget estimates every year and send it to the Department so that it may be included in the budget of the Department.

13. ***Control on expenditure.—*** The Controlling officer of the Commission shall control over the expenditure and perform the responsibilities conferred under Rules 471 to 479 of the Bihar Financial Rules. Maintenance of account and its audit will be made as per the procedure prescribed by the State Government. Relevant information and reports in this regard shall be made available by the Commission to the Department, from time to time.

SCHEDULE-1

BUSINESS TO BE TRANSACTED BY THE COMMISSION.

(i) Annual report of the Commission;

(ii) Scheme of Examinations and syllabus under Rules made under section 12(2) of the Act;

(iii) All cases in which a new policy is required to be formulated for submission to Government;

(iv) Any case in which the existing policy is required to be amended/revised for submission to Govt;

(v) Such cases in which a decision is required to be taken regarding framing of the rules for holding Competitive Examinations for recruitment to posts and services;

(vi) Any case in which recruitment rules have been framed and the Commission has to formulate the procedure of recruitment;

(vii) Submit draft of work conduct regulation of the Commission for transacting of business to the Government;

(viii) Submit proposals for exclusion from the jurisdiction of the Commission or extension of function of the Commission for the approval of the Government;

(ix) Subjects related to research of Examination Method;

(x) Preparation of panel for constitution of Interview Board;

(xi) Preparation of panel of Advisors/Experts and structure of the Board;

(xii) Fixing the dates of interview;

(xiii) Fixing the dates of examination and centres of examination and the venue of evaluation centres;

(xiv) Constitution of panel of Advocates;

(xv) Advertisement and notification for recruitment and selection of newspapers in which advertisements are to be published;

(xvi) Approval of results of examinations and interview;

(xvii) System development and other works pertaining to technical aspect of Data processing and Electronic Data Processing Branch;

(xviii) Review of answer books on application of candidates;

(xix) Any other matter which the chairman places before the Commission for consideration and decision;

(xx) Any other matter not covered by these rules and to be sent to the Government for approval after drafting the proposal;

SCHEDULE-2

BUSINESS TO BE EXECUTED BY THE CHAIRMAN

(i) General administration of the Commission;

(ii) Co-ordination of works of the Commission including convening the meeting of the Commission;

(iii) Allocation of business amongst the members;

(iv) Endorsement of any file for examination to any member nominated by the Chairman;

(v) Appointment of paper-setters, moderators and examiners;

(vi) Approval of printing of question papers;

(vii) The Chairman may place any specific matter before Commission for disposal as per necessity or in public interest;

(viii) Scrutiny of statement of facts or filing of affidavit in the courts cases;

(ix) Constitution of Board from the panel approved by the Commission and fixing the dates of interview;

(x) Power to engage the advocates from the panel approved by the Commission;

(xi) Matter entrusted by the Commission from time to time in the interest, of the work.

By order of the Governor of Bihar,
RANJAN KUMAR SINHA,
Additional Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)747-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in